"बिजनैस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 113] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 मार्च 2013—फाल्गुन 30, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

अधिसूचना

फा. क्र. 2272/853/21-ब/छ.ग./13.—भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 153 (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. 7354/डी-2500/21-ब/छ.ग./09 दि. 31-10-09 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 13 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :—

सं. क्रं. (1)	विशेष न्यायालय (2)	न्यायालय का क्षेत्राधिकार (3)	पीठासीन अधिकारी (4)
13	दुर्ग	दुर्ग सिविल जिला	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्ग

Raipur, the 21st March 2013

NOTIFICATION

F. No. 2272/853/XXI-B/C.G./13.—In exercise of the powers conferred by section 153(1) of the Indian Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby makes following amendment in this department's previous notification No. 7354/D-2500/XXI-B/C.G./09, dated 31-10-2009, namely :—

AMENDMENT

1. For the entries in serial No. 13 of the said notification the following shall be substituted :—

S. No. (1)	Special Courts (2)	Jurisdiction of the Courts (3)	Presiding Officer (4)
13	Durg	Durg Civil District	Ist Additional Sessions Judge, Durg.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

अधिसूचना

फा. क्र. 2274/853/21-ब/छ.ग./13.— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 49 सन् 1988) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, छ.ग. शासन इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. 7356/डी-2501/21-ब/छ.ग./09 रायपुर दि. 31-10-2009 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :—

स. क्र. (1)	विशेष न्यायालय (2)	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड (3)
2.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग

Raipur, the 21st March 2013

NOTIFICATION

F. No. 2274/853/XXI-B/C.G./13.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), in consultation with the High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby makes following amendment in this department's previous notification No. 7356/D-2501/XXI-B/C.G./09 Raipur dated 31-10-2009, namely :—

AMENDMENT

1. For the entries in serial No. 2 of the said Notification the following shall be substituted :—

S. No. (1)	Special Courts (2)	Local Area/Sessions Division (3)
2.	Ist Additional Sessions Judge, Durg	Civil District Durg

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.